

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुदाग-रुपनगढ, जिला-अजमेर


गणेश

बनाम

बिरदीराम उर्फ बिरदा

किस्म मुकदमा- धारा 88, 188 राज0 कारत0 अधि0

नम्बर 22 वर्ष-2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
27.5.2024	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीय ने अन्तर्गत धारा 88,, 188 राज0 कारत0 अधि0 के तहत पेश किया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	
<p>28-6-24</p> <p>4-9-24</p> <p>पहचान</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराम अ. P.O. साहब दीरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक6-9-24... को पेश हो।</p> <p>वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्तु धातु का सी.पी.टी. के तहत राजस्व वाद की विज्ञा बाबत तथा नये दरों के साथ पुनः राजस्व वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दान करने बाबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। उक्त प्रार्थना-पत्र पर वादी व वकील वादी को भुना गया। तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी स्वयं उपाध्वित। वादी ने संलग्न संलग्नित स्वरूप आधार कार्ड संख्या (3669 8858 2702) की स्वप्रमाणित प्रति पेश की। वादी की पहचान करील वादी वदारा की गयी।</p> <p>चूंकि वादी उक्त राजस्व वाद की विज्ञा करना चाहता है, अतः उक्त राजस्व वाद को जरिये विज्ञोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फसल सुधार होना नष्ट से कम है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	<p style="text-align: right;">कान्यागणित id: 111111 by me <i>[Signature]</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>